रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-73 REGISTERED No. D. (D)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 1981/ज्यैष्ठ 2, 1903
No. 20. NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 1981/JYAISTHA 2, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
Part II—Sec. 3—Sub-Sec. (iii)

(संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं

Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1981

आ. अ. 335.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 147-राजमहल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महावीर मंडल, ग्राम जमनीघाट बुधवारिया, पो. सरकंडा, जिला संथाल परगना (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी उस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महावीर मंडल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. बिहार-वि. स./147/80(10)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi the 4th March, 1981

O.N. 335.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahabir Mandal Vill. Jamnighat, Budhwaria, P.O. Sarkanda, P. S. Rajmahal Dist. S. P. (Bihar) a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 147-Rajmahal constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahabir Mandal to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/147/80 (19)]

आ. अ. 336.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 147-राजमहल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री परमेश्वर प्रसाद मोदी, साहेबगंज वार्ड नं. 10 (न्यू रोड तलाब पर) पो. साहेबगंज, जिला संथाल परगना

(बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी उस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री परमेश्वर प्रसाद मोदी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. बिहार-वि.स./147/80 (20)]

O.N. 336.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Parmeshwar Prasad Modi, Sahibganj, Ward No. 10, At New Road, Jable, P.O. Sabirganj Dist. S. P. (Bihar) a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 147-Rajmahal constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Parmeshwar Prasad Modi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of the order.

[No. BR-LA/147/80 (20)]

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1981

आ. अ. 337.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 41-जहानाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अखिलेश शर्मा, ग्राम सगुनी, पो. नादौल, थाना मसौढ़ी, जिला पटना (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी उस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन के लिए 41-जहानाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. बिहार-वि.स./147/80 (20)]

New Delhi, the 7th March, 1981

O.N. 337.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Akhilesh Sharma, vill. Saguni, P.O. Nadaul, P.S. Mashauri, Patna, Bihar a contesting candidate for general election to the Lok Sabha held in January, 1980, from 41-Jahanabad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all an required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is staisfied that he has no good reason of justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Akhilesh Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP/41/80 (16)]

आ. अ. 338.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 41-जहानाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मो. अली, हिन्दुस्तान जनरल स्टोर्स, पी. जी. रोड, जहानाबाद, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; और

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी उस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मो. अली को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. बिहार-लोक स./41/80 (17)]

O.N. 338.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Md. Ali, Hindustan General Stores, P. G. Road, Jehanabad Gaya, Bihar, a contesting candidate for general election to the Lok Sabha held in January, 1980, from 41-Jehanabad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Md. Ali to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP/41/80(17)]

आ. अ. 339.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 41-जहानाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम जतन प्रसाद, ग्राम पिरौंधा, पो. मोदनगंज, थाना घोसी, जिला गया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व

अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम जतन प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. बिहार-लो. स./41/80(18)]

O.N. 339.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Jatan Prasad, Vill. Piraundha, P.O. Madanganj, P.S. Chosi, Gaya, Bihar, a contesting candidate for general election to the Lok Sabha held in January, 1980 from 41-Jehanabad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Jatan Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP/41/80(18)]

आ. अ. 340 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 41-जहानाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शंकर प्रसाद सिंह, गांधी मैदान, जहानाबाद जिला गया, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शंकर प्रसाद सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. बिहार-लो. स./41/80(19)]

O.N. 340.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shankar Prasad Singh Gandhi Maidan, Jehanabad, Bihar a contesting candidate for general election to the Lok Sabha held in January, 1980 from 41-Jehanabad constituency, has failed to lodge an account of his election exponses at all as requied by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shankar Prasad Singh to be dsqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislatve Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[BR-HP/41/80(19)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1981

आ. अ. 341 .—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 106 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, 1980 की निर्वाचन अर्जी सं. 1 में दिया गया उच्च न्यायालय, पटना (बिहार), की तारीख 27 फरवरी, 1981 का आदेश प्रकाशित करता है ।

[संख्या 82/बिहार/1/80]

आदेश से,

एम. जी. जैन, अवर सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 1981

O.N. 341.—In pursuance of section 106 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby publishes the order dated the 27th February, 1981, of the High Court of Judicature at Patna (Bihar) in Election Petition No. 1 of 1980.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Election Petition No. 1 of 1980.

Ram Bilas Yadav and another.....Petitioners

Versus

Smt. Madhuri Singh .....Respondent.

Order No. 22 dated 27-2-81

Mr. Bijay Chandra who was appearing on behalf of the petitioners has prayed that his appearance in this case may be ignored. Let his appearance on behalf of the petitioners be ignored.

Mr. Abinash Kumar appearing on behalf of Mr. Shrawan Kumar, who is reported to be ill, has submitted that the petitioners have not cared to deposit the sum of Rs. 348/- in spite of repeated reminders nor has cared to send any intimation to their counsel. Since the petitioners have not complied with the order passed on 11-2-80 and the time granted by that order was final, this election petition is dismissed for default.

It appears that a petition has been filed by one Shri Lakhanlal Kapur to be added as intervenor-applicant. The office has pointed out two defects in respect of that petition, viz., provision of law has not been stated in the petition and copy of it has not been served on th petitioners. No and copy of it has been served on the petitioners. No defects or to make any submission concerning this petition. The petition is accordingly rejected.

Sd/- R. P. SINHA,

[No. 82/BR/1/80]

S. C. JAIN, Under Secy.
Election Commission of India

आदेश

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1981

आ. अ. 342 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 232-घोड़ाडोंगरी (अ. ज. जा.)

निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जग्गू मुकाम व पोस्ट बांसपुर, तहसील व जिला बैतूल (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जग्गू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. म. प्र.-वि. स./232/80(25)]

ORDERS

New Delhi, the 8th April, 1981

O.N. 342.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jaggu, At Po. Banspur Tehsil and District Betul (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 232-Ghoradongri (ST) constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jaggu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/232/80(25)]

आ. अ. 343 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 232-घोड़ाडोंगरी (अ. ज. जा.) निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री साहब लाल गवासे, मुकाम व पोस्ट कोयलबुड्डी, तहसील व जिला बैतूल (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री साहब लाल गवासे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. म. प्र. वि. स./232/80(26)]

O.N. 343.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sahablal Mawase, At & Post Koyalbudhi, Tahsil & District Betul (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 232-Ghoradongri constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder.

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sahablal Mawase to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/232/80(26)]

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1981

आ. अ. 344 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 147-कांकेर (अ. ज. जा.) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मनोहर नेताम, मो. नियायानारा, कांकेर, जिला बस्तर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मनोहर नेताम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. म. प्र. - वि. स./147/80(32)]

New Delhi, the 15th April, 1981

O.N. 344.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Monehar Netam, Mokam Phuniyanara, Kanker, District Bastar (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 147-Kanker (ST) constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commssion is satisfied that he has no good reason or justificaton for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Monohar Netam to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/147/80(32)]

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1981

आ. अ. 345 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए, महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 147-गोरेगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने

वाले उम्मीदवार श्री दोये दिलीप मधुकर राव, लोहिया वार्ड नं. 40, गोंडिया, तहसील गोंडिया, जिला भंडारा (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दोये दिलीप मधुकर राव को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा-वि स./147/80 (48)]

New Delhi, the 16th April, 1981

O.N. 345.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Doye Dilip Madhukarrao, Lohiya Ward No. 40, Gondiya Tah. Gondhiya District Bhandara (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 147-Goregaon Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Doye Dilip Madhukarrao to be disqualfied for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/147/80(48)]

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1980

आ. अ. 346 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए, महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 127-आरवी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गाडलिंग नथु बापूराव, मु, डा. पिपरी, तहसील आरवी, जिला वार्धा (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गाडलिंग नथु बापूराव को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा-वि स/127/80 (57)]

New Delhi, the 23rd April, 1981

..O.N. 346—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gadling Nathu Bapurao, At Post Pipri, Tah. Arvi, District Wardha (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 127-Arvi Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failue ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gadling Natthu Bapurao to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/127/80(57)]

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1981

आ. अ. 347.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए, महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 89-धुले निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दामोदर वालमीक राव सुकादिओ राव, डा. अम्बेडकर चौक, मनोहर टाकीज के पीछे, धुले, जिला धुले (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनयम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दमोदर वालमीकराव सुकादिओ राव को संसद् के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा-वि. स./89/80 (50)]

New Delhi, 24th April, 1981

O.N. 347.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Damodar Valmikrao Sukadeorao, Dr. Ambedkar Chauk, behind Manohar Talkies Dhule, District Dhule (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 89-Dhule Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Damodar Balmikirao Sukadeorao to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA|89|80(50)]

आ. अ. 348.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए, महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 89-धुले निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गायकवाड़ प्रेमानाथ नारायण, सिदार्था नगर, चित्तोड़ रोड, धुले, जिला धुले (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गायकवाड़ प्रेमानाथनारायण को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा-वि. स./89/80(51)]

O.N. 348.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gayakwad Premanath Narayan, Siddartha Nagara, Chitod Road, Dhule, District Dhule (Maharashtra), a cotesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 89-Dhule Constituency, has failed to lodge on account of his election expenses at all as required by the representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gayakwad premanath Narayan to be disqualified for being choosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/89/80(51)]

आ. अ. 349.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए, महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 89-धुले निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नेरकार हीरामन धुडाकू, म. पो. धुले नजदीक रेलवे स्टेशन, धुले, जिला धुले (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नेरकार हीरामन धुडाकू को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा-वि. स./89/80 (52)]

O.N. 349.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nerkar Hiraman Dhudaku, At & Post Dhule, Near Rly. Station, Dhule District, Dhule (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 89-Dhule Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rule made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that has no good reason, or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nerkar Hiraman Dhudaku to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/89/80(52)]

आ. अ. 350.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए, महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 89-धुले निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राजाधर अवाचित वाग, मु. आवाधान डा. लालिंग, तालुक जिला धुले (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राजाधर अवाचितवाग को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा-वि. स./89/80 (53)]

O.N. 350.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rajadhar Avachit Wagh, At Awadhan, Post Laling, Tal. & Distt. Dhule (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 89-Dhule Constitutency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rajadhar Avachit Wagh to be disqualified for being chosen

as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/89/80(53)]

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1981

आ॰अ॰ 351.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए, महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 256-पुरन्धर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विठ्ठल कृष्णराव टाकेवाले गुरुजी, मु. हरगुडे, ता. पुरन्धर, जिला पूने (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विठ्ठल कृष्णराव टाकेवाले गुरुजी, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा-वि. स./256/80 (59)]

New Delhi, the 28th April, 1981

O.N. 351.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vithal Krishnarao Takavale Guruji, At & Post Hargude, Tal. Purandhar, District Pune (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 256-Purandhar Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whreas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vithal Krishnarao Takavale Guruji to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/256/80(59)]

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1981

आ॰अ॰ 352.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 14-कोलायत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमर सुख मेघवाल, रामपुरा बस्ती बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अमर सुख मेघवाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. राज. वि.स./14/80 (19)]

New Delhi, the 29th April, 1981

O.N. 352.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Amar Sukh Meghwal, Rampura Basti, Bikaner, Distt. Bikaner (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in May, 1980 from 14-Kolayat constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now therefore in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Amar Sukh Meghwal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RT-LA/14/80(19)]

आ॰अ॰ 353.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 14-कोलायत निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोपाल गहलोत (मेहतर) नत्थूसर दरवाजा, हरिजन बस्ती, बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गोपाल गहलोत (मेहतर) को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. राज-वि स./14/80 (20)]

O.N. 353.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gopal Gahlot (Mehtar), Nathusar Darwaja Harijan Basti, Bikaner, District-Bikaner, (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in May, 1980 from 14-Kolayat constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gopal Gahlot (Mehtai) to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/14/80(20)]

आ. अ. 354 —यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 110-पिपलडा (अ. जा.) निर्वाचन-क्षेत्र से चुना लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मदनलाल, चन्द्रघटा, हरिजन बस्ती कोटा, जिला कोटा (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मदन लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. राज-वि.स./110/80 (21)]

O.N. 354.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Madan Lal, Chanderghata Harijan Basti, Kota, District Kota (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in May, 1980 from 110-Pipalda (SC) constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Madan Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/110/80(21)]

आ. अ. 355.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 7-दौसा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पं. बंशीधर दैवज्ञ, बालाजी का मन्दिर, बड़ी चौपड़, जयपुर (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त पं. बंशीधर दैवज्ञ को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. राज-लो. स /7/80 (29)]

O.N. 355.—Whereas the Election Commission is satisfied that Pt. Bansidhar Daivegya, Balaji Ka Mandir, Badi Choupar, Jaipur (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 7-Dausa constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Pt. Bansidhar Daivegya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-HP|7|80(29)]

आ. अ. 356.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 231-बैतूल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चन्द्रशेखर भालमार गांधी वार्ड, कोठी बाजार, बैतूल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चन्द्रशेखर भालमार को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. म.प्र.-वि. स./231/80 (37)]

O.N. 356.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chandra Shekhar Bhawsar, Gandhi Ward, Kothibazar Betul (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 231-Betul Constituency, has failed to lodge an account o his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for failure;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chandra Shekhar Bhawsar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative or Legislative Council Assembly of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/281/80(37)]

आ. अ. 357 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 82-जेतपुर (अ. जा) निर्वाचन क्षेत्र से

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वैन्कर चतुर भाई बलाभाई, चालासान ता. काडी, जिला महसाना (गुजरात) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्दर तथा रीति से दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चतुरभाई बालाभाई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गुज-वि. स./82/80 (49)]

O.N. 357—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vankar Chaturbhai Balabhai, At Chalasan, Taluka Kadi, District Mehsana (Gujarat), a contesting candidate for general election to the Gujarat Legislative Assembly held in May, 1980 from 82-Jatana(SC) Constitutency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vankar Chaturbhai Balabhai to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of there years from the date of this order.

[No. GJ-LA/82/80(49)]

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1981

आ. अ. 358.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 301-बदनावर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कैलाशचन्द्र सोमाजी, ग्राम बेगंवा; पोस्ट धमाना, तहसील बदनावर, जिला धार (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कैलाशचन्द्र सोमाजी, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. म. प्र.-वि. स./301/80(42)]

New Delhi, the 30th April, 1981

O.N. 358—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kailash Chandra Somaji, Village Bangandai, Post. Dhamana, Tehsil. Badnavar, District Dhar, (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 301-Badnavar constituency, has failed to lodge an account of his electon expenses at all as requird by the representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has not good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kailash Chandra Somaji to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/301/80(42)]

आ. अ. 359.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 239-भोपाल दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अंसार कुरेशी, 911 शीदया स्कूल के पास जहांगीराबाद, भोपाल (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अंसार कुरेशी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. म. प्र.-वि. स./239/80(43)]

O.N. 359.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ansar Kureshi, 911 near to Rashidya School, Jhengirabad, Bhopal (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 239-Bhopal South Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the Shri Ansar Kureshi to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/239/80(43)]

आ. अ. 360.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 239-भोपाल दक्षिण निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव

लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मधुसूदन सिंह, 3154, विधायक-आश्रम-गृह, भोपाल (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मधुसूदन सिंह, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[म.प्र.-वि.स./239/80 (44)]

O.N. 360.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Madhusudan Singh, 3154, M.L.A. House, Bhopal (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly, held in May, 1980 from 239-Bhopal South Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made threunder;

And whereas the said candidates, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Madhusudan Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House, of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/239/80(44)]

आ.अ. 361.—यतः, निवचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 102-लैलूंगा (अ.ज.जा.) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नकुल, केशरचुवा, पो. ठांगरघाट, तह. धरधोड़ा, जिला रामगढ़ (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नकुल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[म.प्र.-वि.स./102/80 (45)]

O.N. 361.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nakul, Village Kesharchuba, Post: Tangarghat, Tehsil Gharghora, District Raigarh (Madhya Pradesh) a contesting candidatee for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 102-Lailunga (ST) constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nakul to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/102/80(45)]

आ.अ. 362.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 102-लैलूंगा (अ.ज.जा.) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्रेम सिंह, ग्राम कुजेमंडा, पी. सराहटोला तह. धारधोड़ा, जिला रामगढ़ (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री प्रेम सिंह, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. म.प्र.-वि.स./102/80 (46)]

O.N. 362.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Prem Singh, Village Kunjemurra, Post Saraitola, Tahsil Gharghorra District Raigarh (Madhya Pradesh) a consesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 102-Lailunga (ST) constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder,

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Prem Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/102/80(46)]

नई दिल्ली, 1 मई, 1981

आ.अ. 363.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 2-नोहर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दुलाराम, नैयासर, तहसील नोहर, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत , उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दुला राम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. राज-वि.स./2/80 (23)]

New Delhi, the 1st May, 1981

O.N. 363.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dula Ram, Nayasar, Tehsil Nohar, District Sriganganagar (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in May, 1980 from 2-Nohar constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dula Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No RJ-LA/2/80(23)]

आ. अ. 369.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 7-केसरीसिंहपुर (अ.जा.) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मूलाराम, ग्राम व पो. ओ कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मूलाराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. राज-वि स /7/80 (24)]

O.N. 364.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Moola Ram, Village and Post Kaliya, Tahsil and District Sriganganagar (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in May, 1980 from 7-Keshrisinghpur (SC) constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Moola Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/7/80(24)]

नई दिल्ली, 2 मई, 1981

आ.अ. 365.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 9-रायसिंहनगर (अ. जा.) निर्वाचन-क्षेत्र से लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लेखूराम, 73 एन. पी बी. पी. ओ. 68 एन. पी. तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लेखराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. राज-वि स./9/80 (25)]

New Delhi, the 2nd May, 1981

O.N. 365.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Lekhu Ram, 73, N.P. B.P.O. 68 NP, Tehsil Raisinghnagar District Sriganganagar (Rajasthan) as contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in May, 1980 from 9-Raisinghnagar (SC) Constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Lekhu Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/9/80(25)]

आ.अ. 366.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 11-सूरतगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मलकीतसिंह ग्राम-36 बी.पी.पी.ओ. विजयनगर, तहसील अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए

गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मलकीत सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. राज. वि स./11/80 (26)]

O.N. 366.—Whereas the Election Commission is satisfied that Malkit Singh, Village 36, G.B.P.O.—Vijayanagar, Tehsil—Anupgarh, District Sriganganagar (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in May, 1980 from 11-Suratgarh constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Malkit Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/11/80(26)]

आ. अ. 367.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 67-साबरमती निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चिनुभाई गंडाभाई पटेल, 3 शिवसकलप सोसाईटी, नारानपुर, अहमदाबाद-380013 (गुजरात) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चिनुभाई गंडाभाई पटेल, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गुज/वि स./67/80 (31)]

O.N. 367.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chinubhai Gandalal Patel, 8 Shiv Sankalp Society, Naranpura, Ahmedabad-380013 (Gujarat), a contesting candidate for general election to the Gujarat Legislative Assembly held in May, 1980 from 67-Sabarmati Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chinubhai Gandalal Patel to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ-LA/67/80(50)]

DHARAM VIR, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1981

आ. अ. 368.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 76-अलीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वैध चैतन्य वल्लभाचार्य, मो. पुराना हाथरस अड्डा, अलीगढ़ (उ. प्र.), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वैध चैतन्य वल्लभाचार्य को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. उ.प्र.-लो स./76/80 (33)]

New Delhi, the 15th April, 1981

O.N. 368.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vaidya Chaitanya Vallabhacharya, Mo. Purana Hathras Adda, Aligarh (U.P.) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 1980 from 76-Aligarh constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vaidya Chaitanya Vallabhacharya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/76/80(33)]

आ. अ. 369.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 76-अलीगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री देवदत्त कलंकी, मो. नौरंगाबाद, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसार में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री देवदत्त कलंकी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. उ. प्र. लो. स./76/80 (34)]

O.N. 369.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Devdutt Kalanki, Mo. Naurangabad, Aligarh (U.P.) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 1980 from 76-Aligarh constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Devdutt Kalanki to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/76/80(34)]

आ. अ. 370.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 76-अलीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्यारे लाल, मो. तुर्कमान गेट, सरायकावेग, अलीगढ़ (उ. प्र.), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री प्यारे लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेम की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. उ.प्र.-लो.स./76/80 (35)]

O.N. 370.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pyarey Lal, Mo. Turkman Gate, Saraikavveg, Aligarh (U.P.) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh Legislative Assembly held in January, 1980 from 76-Aligarh constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pyarey Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/76/80(35)]

आ. अ. 371.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 76-अलीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री फारिक मुस्तफा, मो. दोदपुर अलीगढ़, (उ. प्र.), लोक प्रतिनिधित्व, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री फारिक मुस्तफा को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं उ.प्र.-लो.स./76/80 (36)]

O.N. 371.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Fariq Mustafa, Mo. Dodpur, Aligarh (U.P.) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 1980 from 76-Aligarh constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Fariq Mustafa to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/76/80(36)]

आ. अ. 372.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 76-अलीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव

लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुहम्मद मुबीन सिद्दीकी, मो दोदपुर अलीगढ़ (उ प्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे है,

और यत , उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मुहम्मद मुबीन सिद्दीकी को ससद के किसी भी सदन का या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् क सदस्य चुने जाने और होने के लिए लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[स उ प्र -लो स /76/80 (37)]

O N 372.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Moh Mubin Siddiquee, Mo Dodpur, Aligarh, (U P) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh Legislative Assembly held in January, 1980 from 76-Aligarh constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder,

And whereas the said candidate even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure,

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Moh Mubin Sidiquee to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No UP-HP/76/80(37)]

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1981

आ. अ. 373.—यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 मे हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 307-विधूना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने वाले उम्मीदवार श्री मुखराम सिह उर्फ सुखराम सिह, ग्रा रौंदपुर पो पुसौली, जिला इटावा (उ प्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनिमय, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे है ;

और यत , उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मुखराम सिह उर्फ सुखराम सिह को ससद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[स उ प्र -वि स /307/80 (144)]

New Delhi, the 24th April, 1981

O N 373—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mukh Ram Singh alias Sukh Ram Singh, Village Rodapur, Post-Pusauli Distt Etawah (U P) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 307-Vidhuna constituency has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder,

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure,

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mukh Ram Singh alias Sukh Ram Singh to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No UP LA/307/80 144)]

आ. अ. 374 —यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 मे हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 307-विधूना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने वाले उम्मीदवार श्री लाल पितृदेव प्रसाद सिह, ग्रा व पो सबहद, जिला इटावा (उ प्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययो का लेखा दाखिल करने मे असफल रहे है ,

और यत , उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ,

अत अब, उक्त अधिनिमा की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लाल पितृदेव प्रसाद सिह को ससद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुन जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्हित घोषित करता है ।

[स उ प्र -वि .स /307/80 (145)]

O N 374—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Lal Pitri Deo Prasad Singh, Village & P O. Sabhad, Distt Etawah (U P) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 307-Vidhuna constituency has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder,

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure,

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Lal Pitri Deo Prasad Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No UP-LA/307/80(145)]

आ. अ. 375.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 307-विधूना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री इन्द्रपाल सिंह, ग्रा. पूरवा घासी, पो. दशहरा, जिला इटावा (उ. प्र.), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसार में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री इन्द्रपाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. उ. प्र.-वि. स./307/80 (146)]

O.N. 375.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Indra Pal Singh, Village Purwa Ghasi, P.O. Dashahara, Distt. Etawah (U.P.) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 307-Vidhuna constituency has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Indra Pal Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/307/80(146)]

आ. अ. 376.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 307-विधूना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्रभु, ग्रा. व पो. दिवरिव, जिला इटावा (उ प्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफला रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री प्रभु को संसद के किसी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. उ. प्र.-वि. स./307/80 (147)]

O.N. 376.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Prabhu, Village & P. O. Divraon, Distt. Etawah (U.P.) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 307-Vidhuna constituency has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Prabhu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/307/80(147)]

आ. अ. 377 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 410-बघरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ओमपाल, ग्राम व डा. किन्नौनी, तह. व जिला मुजफ्फरनगर (उ. प्र.), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसार में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ओमपाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. उ. प्र. स./410/80 (148)]

O.N. 377.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ompal, Village & P.O. Kinnauni, Teh. & Distt. Muzaffarnagar (U.P.) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 410-Baghra constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ompal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/410/80(148)]

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1981

आ. अ. 378.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 61-पुवायां (अ. जा.) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बांकेलाल, दौलतपुर, डा. तेहरा, जिला शाहजहांपुर (उ. प्र.), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गए नियमों द्वारा अपेक्षित

रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बांके लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. उ. प्र.-वि. स./61/80(206)]

New Delhi, the 30th April, 1981

O.N. 378.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bankey Lal, Daulatpur, P.O. Tehra, Distt. Shahjahanpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 61-Powayan (S.C.) constituency has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bankey Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/61/80(206)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 1981

आ. अ. 379 .—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 111 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग सन् 1980 की निर्वाचन अर्जी सं. 1 में हिमाचल प्रदेश, शिमला के उच्च न्यायालय के तारीख 23 मार्च, 1980 का निर्णय एतद्द्वारा प्रकाशित करता है ।

[सं. 82/हि. प्र./1/80]

आदेश से,

ओ. ना. नागर, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 1981

O.N. 379.—In pursuance of Section 111 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby publishes the Judgment dated the 23rd March, 1981 of the High Court of Himachal Pradesh at Simla, in Election Petition No. 1 of 1980.

Copy of judgment delivered on March 23, 1981 by the Hon'ble Mr. Justice T. R. Handa, J. in Election Petition No. 1 of 1980, titled;

Shri Hukam Singh Agiakari son of Thakur Teja Singh resident of village Kuthera Jaswalan, Tehsil Amb, District Una (H.P.)

——————Petitioner.

Versus

1. Shri Narayan Chand, M.P.
   Resident of village and P.O. Sera.
   Tch. and Distt. Hamirpur,
2. Shri Prem Dutt alias Prem Parbhakar,
   resident of Santokhgarh,
   District Una (H.P.)

——————Respondents.

COPY OF JUDGMENT

IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SIMLA

Election Petition No. 1 of 1980

Date of decision March 23, 1981

Shri Hukam Singh Agiakari—Petitioner

Versus

Shri Narayan Chand and another—Respondents

Quorum

The Hon'ble Mr. Justice T. R. Handa, J.
The Hon'ble Mr. Justice
The Hon'ble Mr. Justice
Whether approved for reporting ?

For the Appellant(s)/Petitioner(s) M/s. G. S. Ahuja and Rajeev Mehta Advocates.

For the Respondent(s)—Shri A. K. Goel vide Shri Inder Singh (counsel for respondent No. 1.)

T. R. HANDA, J.

Shri Narayan Chand, respondent No. 1, was elected as Member of the Lok Sabha from 4-Hamirpur Parliamentary Constituency in the elections held in 1979 80. The petitioner Shri Hukam Singh Agiakari, who was one of the candidates for this election, filed the present election petition under section 100 of the Representation of the People Act, 1951 challenging the aforesaid election of respondent No. 1 on various grounds, the details of which need not be mentioned for the purposes of the present order. Suffice to say that on the pleas of the parties, the following five preliminary issues were framed by this Court on 24-7-1980 :

1. Whether the petitioner was a candidate for Janta Secular Party for the parliamentary election held in January 1980 for Hamirpur constituency and had the requisite letter for allotment of the party symbol i.e. 'Farmer Ploughing Field' ?
2. Whether the symbol, namely, 'Farmer Ploughing Field' originally allotted to the petitioner was changed by the Returning Officer in violation of the rules ?
3. In case issue No. 2 is found against the petitioner, whether the election petition as originally filed was maintainable in law on other grounds mentioned therein ?
4. Whether the order dated 5-3-1980 directing the petitioner to amend the original election petition is invalid in law ?
5. Whether the election petition as now filed is still bad in law for non-compliance of the mandatory provisions of section 83 of the Representation of the People Act, 1951 ?

The parties were called upon to produce their evidence in support of and against the above preliminary issues. After 5 witnesses of the petitioner and 2 witnesses of the respondent had been examined the petitioner moved the present application under section 109 of the Representation of the People Act, 1951 for permission to withdraw the election petition. In this application which is duly supported by the petitioner's own affidavit, the petitioner has stated that taking into consideration all the facts and the evidence produced on the record till now, he considers that it will not serve any useful purpose to prosecute the election petition. He has also declared that the application has not been induced on the record till now, he considers that it will not allowed.

Notice of this application was published in the Official Gazette of of 7-3-1981 as required by Sec. 110(2)(b). No person has come forward to apply to be substituted as petitioner within the statutory period of 14 days.

I have gone through the pleadings of the parties as also the evidence produced so far on the preliminary issues and am satisfied that the petitioner has moved this application under the bonafide belief that it would serve no useful purpose for him to prosecute the petition any further and that it is in this own intetest to withdraw the petition at this stage and to save himself from the liability for full costs. I am also satisfied that the petitioner has not been induced by any bargain or any other consideration which ought not to be allowed.

I would accordingly allow this application and permit the petitioner to withdraw from the election petition which is dismissed as withdrawn. The petitioner shall pay the costs of respondent No. 1 inccurred so far which keeping in view the preliminary stage of the proceedings are assessed as Rs. 500/-.

A copy of this order be forwarded to the Election Commission.

Simla. dated the March 23, 1981.

Sd/-

T. R. HANDA, J.

[No. 82/HP/1/80]

By Order,

O. N. NAGAR, Under Secy.

Election Commission of India

आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1981

आ. अ. 380.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 79-चिकपेट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बी. टी. रामाचन्द्रा, नम्बर-6, 13 क्रास किलारी रोड़, बंगलौर-53, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बी. टी. रामाचन्द्रा, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. कर्नाटक-वि. स./79/78(64)]

New Delhi, the 30th April, 1981

ORDERS

O.N. 380.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri B. T. Ramachandra No. 6, 13th Cross Kilari Road Bangalore-53, a contesting candidate for general election to the Karnataka Legislative Assembly held in February, 1978 from 79-Chickpet constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri B. T. Ramachandra to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KT-LA/79/78(64)]

नई दिल्ली, 1 मई, 1981

आ. अ. 381 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 214-वासुदेवानल्लूर (अ. जा.) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एस. अय्यादुरई, उर्फ अनन्तथा राज, पुत्र समुल, गोमा थीमथुपुरम पोस्ट, पानईयर (मार्फत) शंकरान कोइल तालुक तमिलनाडु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एस. अय्यादुरई उर्फ अनन्तथा राज, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. त. ना.-वि. स./214/80 (90)]

New Delhi, the 1st May, 1981

O.N. 381.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri S. Ayyadurai arias Anantha Raj, son of Samuel, Gomathimuthupuram Post, Panaiyoor (via) Sankarkoli Taluk Tamil Nadu, a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in May, 1980 from 214-Vasudevanallur (SC) Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after the considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri S. Ayyadurai Alias Anantharaj to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. T. N.-LA/214/80(90)]

नई दिल्ली, 2 मई, 1961

आ. अ. 382.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 80-चिन्नपेट, निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जी. श्रीनिवासन नं. 507 दूसरा क्राम, श्रीनगर, बंगलौर, कर्नाटक, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, अतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जी. श्रीनिवासन, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. कर्नाटक-वि. स./80/78(65)]

आदेश से,

वी. के. राव, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग

New Delhi, the 2nd May, 1981

O.N. 382.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri G. Srinivasan, No. 507, 2nd Cross, Srinagar, Bangalore, Karnataka, a contesting candidate for general election to the Karnataka Legislative Assembly held in February, 1978 from 80-Binnypet constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commision is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri G. Srinivasan to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KT-LA/80/78(65)]

By order,

V. K. RAO, Under Secy. to the Election Commission of India

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981